

राजस्थान—सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय / 16 पार्ट

जयपुर, दिनांक 6. 3. '17

॥ आज्ञा ॥

श्री कपिल महर्षि, सहायक विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को  
निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से कार्यालय राज्य मंत्री, विधि एवं विधिक कार्य में कार्य  
संपादन हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

-५०-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, विधि एवं विधिक कार्य।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. श्री कपिल महर्षि, सहायक विधि परामर्शी हाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
06.03.17

संयुक्त शासन सचिव